अत्यावश्यक

पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था.–39/2018 (खंड) सो0 1139

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा

सचिव–सह–अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी

सभी विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी

पटना, दिनांक–23/6/19

विषयः– **बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में ।**

महाशय,

बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के रूप में राज्य सरकार के सभी वर्गों के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों एवं सेवांत लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण की एक ठोस, प्रभावकारी एवं संस्थागत पद्धति बनाई गई है । इस प्रणाली के कार्यान्वयन का शुभारम्भ **माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा** दिनांक–**26.06.2019** को पूर्वाह्न **11:00 बजे 'संवाद'** 2, देश रत्न मार्ग, पटना में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा ।

2– इस प्रणाली के कार्यान्वयन के दृष्टिगत जिलों एवं विभागों के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारियों के सहायतार्थ आई.टी. जानकार कर्मियों के पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है । निदेशानुसार अनुरोध है कि जब तक बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सहयोगी कर्मियों के पद सृजन एवं नियोजन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्य के लिए रखे गए कार्यपालक सहायकों में से एक–एक कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति जिला एवं विभागीय सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के साथ की जाए । जिलों में, जिला पदाधिकारी द्वारा जिलान्तर्गत के किसी एक कार्यपालक सहायक (BRPGRA कार्य हेतु नियोजित में से) की प्रतिनियुक्ति की जाएगी । विभागों में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के साथ सम्बद्ध कार्यपालक सहायक में से किसी एक कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा तत्काल कर इसका औपचारिक घटनोत्तर अनुमोदन जिला पदाधिकारी, पटना से प्राप्त कर लिया जाएगा ।

विश्वासभाजन

22/6/19

(डॉ. प्रतिमा)

सचिव–सह–अपर मिशन निदेशक

D:\SANJAY- 19\AMD.docx